निर्यात बढ़ाने को केंद्रीय विभागों व संस्थाओं से बढ़ाएंगे तालमेल

- शासन ने जारी की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति की अधिसूचना
- उत्तर प्रदेश में केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ का किया जाएगा गठन

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: शासन ने राज्य की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 को लागू करते हुए इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच नई निर्यात नीति से निर्यातकों को राहत मिलेगी। सरकार ने इस नीति में 882 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रविधान किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विभागों व निर्यात से संबंधित केंद्रीय संस्थाओं के साथ तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्यात संवर्धन परिषदों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो), इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन व विदेश व्यापार महानिदेशालय जैसी संस्थाओ के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए अलग से केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। निर्यात के लिए उत्पादों की जीआइ टैगिंग व मेक इन उत्तर प्रदेश व मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति हितधारकों के साथ तालमेल बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देगी।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय की मांग के अनुसार नीति में किसी प्रकार का संशोधन किए जाने पर निर्यातकों को मिलने वाले प्रोत्साहन में

किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। निर्यात नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ को हासिल करने के लिए संबंधित निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण कराना होगा। साथ ही निर्यात में सुगमता को लेकर संस्थागत समन्वय को बढ़ाया जाएगा।

नई नीति में 12 क्षेत्रों पर है विशेष फोकस

नई नीति में निर्यात को लेकर 12 क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र को भी पहली बार नीति के तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रविधान किया गया है। बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नई निर्यात नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी।